



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042025-262604
CG-DL-E-22042025-262604

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1782]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 22, 2025/वैशाख 2, 1947

No. 1782]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 22, 2025/VAISAKHA 2, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2025

का.आ. 1815(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार का, ब्यूरो से परामर्श करने के बाद, यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक है, अतः एतद्वारा, एयर कंडीशनर और इसके संबद्ध पुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेसर और टेम्परेचर सेंसिंग कंट्रोल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः:

- (1) इस आदेश को एयर कंडीशनर और इसके संबद्ध पुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेसर और टेम्परेचर सेंसिंग कंट्रोल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 कहा जाएगा।
(2) यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
- एयर कंडीशनर और इसके संबद्ध पुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेसर और टेम्परेचर सेंसिंग कंट्रोल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 के पैराग्राफ 2 में, दूसरे परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंतर्विष्ट किया जाएगा, नामतः:

“बशर्ते यह भी कि इस आदेश की कोई भी बात, वास्तविक उपयोगकर्ता के आधार पर एयर कंडीशनिंग और प्रशीतन उपकरण और संबंधित भागों के विनिर्माताओं के लिए एयर कंडीशनर और इसके संबद्ध पुर्जों, हर्मेटिक कंप्रेसर और टेम्परेचर सेंसिंग कंट्रोल (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष तक 2 टीआर(7000 वाट) तक की क्षमता वाले हर्मेटिक कंप्रेसरों पर लागू नहीं होगी।”

[फा. सं. पी-29014/63/2017-एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

नोट:- मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्या 4354 (अ), दिनांक 5 दिसंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था और बाद में अधिसूचना संख्या का.आ. 1518 (अ), दिनांक 18 मई, 2020, का.आ. 4671 (अ), दिनांक 22 दिसंबर, 2020, का.आ. 5095 (अ), दिनांक 8 दिसंबर, 2021, का.आ. 5972 (अ), दिनांक 21 दिसंबर, 2022, का.आ. 32 (अ), दिनांक 2 जनवरी, 2024 और का.आ. 695, दिनांक 11 फरवरी, 2025 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 17th April, 2025

S.O. 1815(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Order, 2019, namely:-

1. (1) This Order may be called the Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Order, 2019, in paragraph 2, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that nothing in this order shall apply to Hermetic Compressors of upto 2 TR (7000 W) capacity for one year from the date of commencement of the Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Amendment Order, 2025 to the manufacturers of Air conditioning and Refrigeration equipment and related parts on Actual user basis.”

[F. No. P-29014/63/2017-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.

Note.- The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4354 (E), dated the 5th December, 2019 and subsequently amended vide notification number S.O. 1518 (E), dated the 18th May, 2020, S.O. 4671 (E), dated the 22nd December, 2020, S.O. 5095 (E), dated the 8th December, 2021, S.O. 5972 (E), dated the 21st December, 2022, S.O. 32 (E), dated the 2nd January, 2024 and S.O. 695 dated 11th February, 2025.